भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3395

जिसका उत्तर 09 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

कोयला क्षेत्र में विकास कार्य

3395. श्री सुनील कुमार मंडल:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान भारत के विभिन्न राज्यों, विशेषकर पश्चिमी बंगाल के बर्धमान जिले में कोयला-उत्पादन और कर्मचारियों तथा श्रम सुरक्षा के संबंध में कोयला क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में भविष्य में कोई नई योजना शुरू की जानी है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पश्चिमी बंगाल में कोयला क्षेत्र के विकास के लिए अब तक जारी और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) : पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयले के उत्पादन के लिए पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले सहित भारत के विभिन्न राज्यों में खोली गई नई खानों/फिर से खोली गई सीमों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वर्ष	सभी राज्यों में खोली गई अनुमोदित खानों/ फिर से खोली गई सीमों की संख्या	पश्चिम बंगाल राज्य में खोली गई अनुमोदित खानों /फिर से खोली गई सीमों/सेक्शन की संख्या
1	2020-21	22	0
2	2021-22	24	3
3	2022-23	29	6
4	2023-24 जुलाई की स्थिति के अनुसार,	9	2
		84	11

उपर्युक्त में से, एक परियोजना अर्थात् नाकराकोंडा कुमारडिही बी ओसी पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिलें में है जिसे 2022-23 के दौरान खोला गया था। कर्मचारियों और श्रमिक सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

I. गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपाय -

1. घातक खान दुर्घटना के मामले में कर्मचारी के निकट संबंधी को 15 लाख रु. की राशि का भुगतान किया जाता है।

2. लाइफ कवर योजना के तहत 1,56,250/- रु. तक की राशि का भुगतान किया जाता है।

3. मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता के मामले में अतिरिक्त 90,000 रु. का भुगतान किया जाता है।

4. सभी कर्मचारी कोयला खान भविष्य निधि स्कीम के तहत कर्मचारियों और कंपनी दोनों द्वारा एक समान शेयरों के साथ कवर किए जाते हैं।

5. कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998 के अंतर्गत देय पेंशन।

6. गैर-कार्यपालकों के लिए सेवानिवृत्ति पश्चात अंशदायी मेडिकेयर स्कीम (सीपीआरएमएस-एनई) के अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

II. पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा नियोजित ठेकेदारों के कामगारों के लिए मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा उपाय-

1. खनन कार्यकलापों में आउटसोर्स कंपनियों द्वारा नियोजित ठेकेदारों के कामगारों (खान अधिनियम, 1952 की धारा 2(ज), (ञ) और (ट) के अंतर्गत यथा परिभाषित) को एचपीसी/संयुक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जाता है जो संबंधित सरकार की न्यूनतम मजदूरी से अधिक है।

2. खनन कार्यकलापों के अलावा अन्य कार्यों में लगे ठेकेदारों के कामगारों को समय-समय पर उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जाता है।

3. घातक खान दुर्घटना के मामले में कर्मचारी के निकट संबंधी को 15 लाख रु. की राशि का भुगतान किया जाता है।

4. ठेकेदारों के कामगारों के संबंध में ठेकेदार द्वारा सभी सांविधिक भुगतान लागू संगत अधिनियम/नियमों के अनुसार किए जाते हैं। सभी भुगतान बैंक हस्तांतरण के माध्यम से किए जाते हैं।

5. सभी ठेकेदारों के कामगार ईपीएफ/सीएमपीएफ के अंतर्गत कवर किए जाते हैं।

(ख) : कोयला कंपनियां अपनी स्वयं की निधियों से ये विकासात्मक कार्य कर रही हैं।

(ग) : केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम - "कोयला खानों में संरक्षण, सुरक्षा और अवसंरचनात्मक विकास" के तहत, 2020-21 से अब तक, पश्चिम बंगाल में कोयला क्षेत्र के विकास के लिए 4.45 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

****